UPMP010008142026

न्यायालय District & Session Judge, Mainpuri

पीठासीन अधिकारी– (Rupesh Ranjan), **(उ०प्र० न्यायिक सेवा)** – UP02022

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं० 358/2026

अवनीश यादव उम्र करीब 48 वर्ष पुत्र श्री श्याम सिंह निवासी ग्राम आवाजपुर थाना किशनी,जिला मैनपुरी।

–––प्रार्थी /अभियुक्त ।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार। –––विपक्षी/वादी

आदेश

1– **प्रार्थी /अभियुक्त अवनीश यादव की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 BNSS के तहत मुकदमा अपराध संख्या 69/2026 अन्तर्गत धारा–109,352,351(2)BNS थाना–किशनी** जिला मैनपुरी में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– संक्षेप में लिखित तहरीर के अनुसार अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि ''प्रार्थी सुखेन्द्र सिंह पुत्र स्व. रामसिंह निवासी यादव नगर इटावा रोड कुसमरा थाना किशनी मैनपुरी की प्लाटिंग जमीन जो नवीन गल्ला मण्डी के पीछे अवस्थित है,पर अवनीश यादव पुत्र श्यामसिंह यादव निवासी अवाजपुर थाना किशनी जमीन पर कब्जा करने की फिराक पर है। पिछले कुछ महीने से प्रार्थी को मनमाने ढंग से बैनामा कराने हेतु जान से मारने की धमकी देता आ रहा है। प्रार्थी के बार–बार मना करने के बाद दिनांक 12–02–2026 समय करीब 9 बजे रात्रि के आस–पास अवनीश यादव पुत्र श्यामसिंह यादव अपने किन्हीं दो साथियों के साथ प्रार्थी के कुसमरा स्थित आवास पर आया और गन्दी–गन्दी गालियाँ देने लगा और कहा अगले दो दिन में अगर जमीन का बैनामा मेरे नाम न हुआ तो दोनों भाईयों को जान से मार देंगे। इतने में प्रार्थी व उसका भाई बाहर आये,विरोध करने पर इसने यह कहते हुए अपने बेटे कि किस्म तेरे मर्डर में 302 जेल जाऊँगा और तमंचा निकालकर प्रार्थी के ऊपर सीधा फायर कर दिया। मेरे परिवार के कुछ लोगों ने दौड़कर मेरी जान बचायी। उसके बाद यह कहते हुए भाग गया कि साले आज तो बच गया अबकी वार नहीं बचेगा। अवनीस यादव पुराना हिस्ट्रीशीटर है एवम प्रार्थी का भाई दोनों Ex Army देश की सेवा में कार्यरत हैं। रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।''

3– प्रार्थी /अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि वह निर्दोष है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उसे गाँव की पार्टीबन्दी के आधार पर झूंठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार कथित घटना का कोई भी स्वतन्त्र साक्षी नहीं दर्शाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार कथित घटना दिनांक 12–02–2026 समय करीब 8 बजे रात की होना बतायी गयी है लेकिन किसी भी रोशनी का कोई जिक्र नहीं किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार बैनामा कराने हेतु जान से मारने की धमकी देता आ रहा है, दर्शाया गया है। लेकिन वादी मुकदमा के द्वारा इस सम्बन्ध में कथित

घटना से पूर्व कोई रिपोर्ट या सूचना थाने पर नहीं दी गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 12–02–2026 समय करीब 9 बजे रात के आस पास प्रार्थी/अभियुक्त अपने किन्हीं दो साथियों के साथ वादी मुकदमा के स्थित कुसमरा आवास पर आना बताया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त ग्राम आवाजपुर का निवासी है तथाकथित घटना कस्बा कुसमरा की है जिसकी आपस में दूरी काफी है। ऐसी स्थिति में तीन व्यक्ति किसी न किसी वाहन से अवश्य होंगे लेकिन किसी भी वाहन का कोई जिक्र नहीं किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अगर जमीन का बैनामा मेरे नाम न हुआ तो दोनों भाईयों को जान से मार देंगे। इतने में प्रार्थी व प्रार्थी का भाई बाहर आये,दर्शाया गया है। इस प्रकार वादी मुकदमा इतने घटनाक्रम में अपने भाई के साथ घर के अन्दर ही रहा है। उसके बाद वादी मुकदमा व उसक भाई बाहर आते हैं। यदि प्रार्थी/अभियुक्त का इरादा जान से मारने का होता तो वह सीधा दरवाजा खोलते ही तमंचे से फायर कर देता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार तमंचा निकालकर प्रार्थी के ऊपर सीधा फायर कर दिया,मेरे परिवार के कुछ लोगों ने दौड़कर मेरी जान बचाई। उसके बाद यह कहते हुए भाग गया,दर्शाया गया है। जब वादी मुकदमा व उसके भाई के साथ प्रार्थी/अभियुक्त गालियाँ व जान से मारने की धमकी देता रहा,उस दौरान किसी भी व्यक्ति का मौके पर आना नहीं बताया गया है। कहानी मनगढ़न्त एवम बनावटी तथ्यों पर आधारित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के साथ दो अज्ञात व्यक्तियों का भी आना बताया गया है परन्तु उनके द्वारा किसी भी प्रकार से घटना कारित करने में संलिप्तता न होना घटना को संदिग्ध प्रकट करता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादी मुकदमा के ऊपर सीधा फायर करना बताया गया है। जब प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा सीधा फायर वादी मुकदमा के ऊपर किया गया है तो वादी मुकदमा किस प्रकार बच गया। इसका कोई उल्लेख नहीं है। जब किसी व्यक्ति के पास तमंचा कारतूस है और वह किसी दूसरे व्यक्ति के मारने के उददेश्य से जायेगा और उसके मिलने पर एक फायर करने पर सामने वाले व्यक्ति के यदि गोली नहीं लगती है तो मारने वाला दूसरा अवश्य फायर करेगा। यहाँ पर सीधा फायर किया गया है,जिसका लगना लगभग निश्चित था। प्रथम सूचना रिपोर्ट की कहानी मनगढ़न्त एवम बनावटी तथ्यों पर आधारित है तथा उपरोक्त केस नो–इंजरी केस है। असलियत यह है कि प्रार्थी/अभियुक्त अपनी ग्राम पंचायत का लगातार चौथी बार ग्राम प्रधान निर्वाचित होकर चला आ रहा है। अब ग्राम पंचायत चुनाव अगले कुछ महीनों में होने वाले हैं। प्रार्थी/अभियुक्त को चुनाव से पहले किसी न किसी झूंठे मुकदमे में फँसाकर जेल भिजवाकर चुनाव न लड़ने देने के आशय से यह प्रथम सूचना रिपोर्ट राजनीतिक प्रभाव के चलते प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध दर्ज करा दी गयी है। अभियुक्त का कथित घटना से कोई लेना देना नहीं है। थाना पुलिस बराबर हाजिर होने का दबाब दे रही है। तब प्रार्थी/ अभियुक्त द्वारा यह अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। थाना पुलिस किसी भी समय प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त अजमानतीय अपराध में गिरफ्तार कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो प्रार्थी/अभियुक्त के भविष्य एवम मान सम्मान पर असर पड़ेगा। अभियुक्त अग्रिम जमानत पर छूटने पर विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा तथा किसी भी साक्षी को न धमकायेंगे और न डरायेगा न ही किसी साक्ष्य से छेड़छाड़ करेगा। वह अपनी अग्रिम जमानत देने को तैयार हैं। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को दौरान मुकदमा अग्रिम जमानत पर रिहा करने की याचना की गयी है।

4– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध किया गया एवं तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

5- उभय पक्ष को सुना एवम पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6- प्राथमिकी के अनुसार वादी मुकदमा सुखेन्द्र सिंह द्वारा अभियुक्त एवम दो अज्ञात के विरूद्ध प्राथमिकी पंजीकृत करायी गयी है। अभियुक्त पर अन्य दो सहयोगियों के साथ मिलकर दिनांक 12-02-2026 को वादी मुकदमा के कुसमरा स्थित आवास पर आकर गन्दी-गन्दी गालियाँ देने तथा जमीन का बैनामा उनके नाम न करने पर दोनों भाईयों को जान से मारने और तमंचा से वादी मुकदमा के ऊपर सीधा फायर कर देनें,का आरोप है। थाने से प्राप्त आख्या में अभियुक्त का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त के ऊपर 10 मामले पंजीकृत हैं। अभियुक्त पर लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति का है तथा गंभीर अपराधों में अग्रिम जमानत के सम्बन्ध में **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था- गुरूबक्स सिंह सीरिया बनाम पंजाब राज्य ए.आई.आर 1980 सुप्रीम कोर्ट-1632** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि धारा-438 दं.प्रं.स. के अंतर्गत अग्रिम जमानत का उपयोग नियमित रूप से नहीं करना चाहिये, बल्कि इसका उपयोग विशेष व असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिये।

7. **विधि व्यवस्था पी.चिदम्बरम बनाम प्रवर्तन निदेशालय क्रि०अ०स० 1340/2019 निर्णय दिनांकित 05.09.2019** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि घारा-438 दं.प्रं.स. के अंतर्गत दिये गये शक्तियों का प्रयोग कभी -कभार अति-आवश्यक परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिये। अग्रिम जमानत स्वीकार किया जाना नियम नहीं है, और अग्रिम जमानत तभी दिया जाना चाहिये जब न्यायालय इस बात से सतुंष्ट हो कि असाधारण उपचार की आवश्यकता है, ऐसे में ही अग्रिम जमानत पर छोड़ा जाना चाहिये।

8. उपरोक्त विधि व्यवस्था में प्रतिपादित सिद्धातों से स्पष्ट है कि अग्रिम जमानत का प्रयोग असाधारण परिस्थितियों में ही दिया जाना चाहिये। उपरोक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में ऐसी कोई असाधारण परिस्थितियाँ नहीं दर्शित की गयी है, जिससे कि न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो कि अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर छोड़ा जाना न्यायोचित हो। अपराध गंभीर प्रकृति का है।

9. मामलें के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर छोड़ा जाना न्यायहित में नहीं है। मामले की गंभीरता व तथ्यों को देखते हुये अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

तदनुसार अभियुक्त **अवनीश यादव** का अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनाँकः11-03-2026

(रूपेश रंजन)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
मैनपुरी

अनिल कुमार अग्रवाल,
पी.ए

RUPESH RANJAN

Digitally signed by RUPESH RANJAN
Location: Mainpuri
Date: 2026.03.11 16:47:47 +0530